


31/10/19-

पठावली ब्याज प्रान्दल की गत्रे। इस इजेसय प्राप्तर में एक लिखित प्रार्थना-पत्र वकी कालू द्वारा प्रान्दल करते हुए मिलेवन किया कि इस प्रकरण में प्रार्थी वकी डिक्लीपन है वकी अप्र प्रकरण में डाक कोर्ट कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः इस इजेसय की कार्यवाही रुकी रहेज पर (अग्रित / ड्रॉप फोरवार्ड जायें।

उपरोक्त प्रार्थी / वकी को प्रान्दल प्रार्थना-पत्र सुना गया प्रार्थी / वकी का वाक्य है कि कर्जित भूमि में से विकस्य होने व कर्जदार की मुख्य देवता भूमि वागीसन के नाम से जाने से इस दावा डिक्ली की पालन की कार्यवाही अप्र वकी नहीं चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रान्दल प्रार्थना-पत्र को (वकीवर किया जाता है। इस इजेसय की कार्यवाही रुकी रहेज पर वकी द्वारा कार्यवाही नहीं चाहने से ड्रॉप की जाती है। पठावली फेसल सुनार की आवक नम्बर से काम हो।

  
31/10/19

Not Official